राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–662/2008/पाली

अम्बूजा सीमेन्ट्स लिमिटेड, यूनिट–राबडियावास,
पी.ओ. राबडियावास, तहसील जैतारण, जिला पाली .... प्रार्थी

बनाम

उपंपजीयक (तहसीलदार) जैतारण, जिला पाली ...अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.डी.थानवी
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.06.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी कम्पनी द्वारा एसेसिंग ऑथोरिटी भूमि कर (उपपंजीयक), जैतारण (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) के नोटिस क्रमांक पंजीयन /08/44 दिनांक 24.03.2008 के विरूद्ध राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (जिसे आगे **'वित्त अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रार्थी ने वित्त अधिनियम के अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 हेतु क्रमशः आरोपित कर राशि रू. 69,25,845/– एवं 69,25,845/– की वसूली को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली सं. 9/2006 में प्रार्थी की रास–II, पाटन केरपुरा में माईनिग लीज की भूमि वित्त अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत कर योग्य होने के कारण दिनांक 06.11.2006 को अंतरिम कर निर्धारण कर धारा 40 के अन्तर्गत लोक सूचना जारी कर आपत्तियॉ जारी की गई। इसी प्रकार पत्रावली सं. 10/2006 में ग्राम दयालपुरा की 183.53 है. भूमि के संबंध में लोक सूचना जारी की गई। प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर काश्तकारों की कृषि भूमि नदी नालों आदि की भूमि शामिल नहीं करने का अनुरोध किया व साथ ही वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये करारोपण इस आधार पर नहीं करने का अनुरोध किया कि वित्त विधेयक 25.06.2009 से लागू है। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली सं. 9/2006 में आदेश दिनांक 15.01.2007 द्वारा यह अवधारित किया कि नदी नाले एवं

लगातार.....2

निजी खातेदारी भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा वित्त अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत कर राशि रू 25,54,733/– आरोपित किया। इसी प्रकार पत्रावली सं. 10/2006 में आदेश दिनांक 15.01.2007 द्वारा कर राशि रू. 4,47,844/– रू आरोपित किया। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 21.06.2007 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.03.2007 के द्वारा दरों में परिवर्तन के आधार पर नवीन दरों से कर निर्धारण किया गया तथा पत्रावली सं. 9/06 एवं 10/6 को संयुक्त किया जाकर धारित भूमि 803 हैक्टर, 183.53 हैक्टर कुल कर 60,05,156/– आरोपित किया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.05.2007 के अनुसरण अधिसूचना दिनांक 09.03.2007 के संबंध में सृजित मांग को माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना वसूल नहीं किये जाने के आदेश दिये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली हेतु नोटिस क्रमांक पंजीयन/08/44 दिनांक 24.03.2008 जारी किया गया जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। तथा यह कथन किया गया है के उन्हें आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कोई विचार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित नहीं किया गया है। नदी नाले, आवासीय एवं निजी खातेदारों की भूमि भी कर योग्य भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है जबकि यह भूमि करारोपण की श्रेणी में नहीं आती। इन्होंने यह भी कथन किया कि वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये करारोपण नहीं किया जा सकता क्योंकि वित्त विधेयक 25.06.2009 से लागू है। इन्होंने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर पुनः कर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने हेतु निवेदन किया।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध वित्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। वित्त अधिनियम की धारा 51 निम्न प्रकार है :–

लगातार.....3

"**पुनरीक्षण** – राज्य सरकार या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये, स्वप्रेरणा से या किये गये आवेदन पर इस अध्याय के अधीन किसी भी प्राधिकारी की कार्यवाहियों या आदेश का अभिलेख ऐसी कार्यवाही या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे मे स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा ओर उसके प्रति निर्देश से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक प्रतीत हो।"

उपरोक्त विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारी अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी की कार्यवाहियों या आदेश का पुनरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधान के अन्तर्गत यह न्यायालय प्रार्थी की निगरानी पर विचार कर रहा है। साथ ही प्रार्थी ने यह निगरानी वसूली नोटिस दिनांक 24.03.2008 के विरूद्व प्रस्तुत की है जो कि कर निर्धारण के आदेश दिनांक 15.01.2007 व 21.06. 2007 के क्रम में जारी किया गया है अतः निगरानी के समय इन आदेशों पर भी विचार किया जा रहा है।

9. निगरानीकर्ता का निगरानी में प्रथम आधार यह है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये करारोपण नहीं किया जा सकता क्योंकि वित्त विधेयक 25.06.2009 से लागू है। इस संबंध में वित्त अधिनियम की धारा 37 का उल्लेख करना समीचीन है :–

37. प्रसार और प्रारंभ, – (1) इस अध्याय का प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। (2) यह 31 मार्च 2006 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

इस विधिक प्रावधान के अनुसार यह अधिनियम 31 मार्च 2006 लागू किया गया है जिससे प्रार्थी का निगरानी में लिया गया यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है कि वित्त विधेयक 25.06.2009 से लागू होने के कारण वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये करारोपण नहीं किया जा सकता।

10. निगरानीकर्ता का निगरानी में द्वितीय आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित नहीं किया गया है तथा नदी नाले, आवासीय एवं निजी खातेदारों की भूमि भी कर योग्य भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है जबकि यह भूमि करारोपण की श्रेणी में नहीं आती।

11. निजी खातेदारों की भूमि के संबंध में वित्त (कर) विभाग के निर्देश दिनांक 27. 01.2010 के संबंधित भाग का अवलोकन करना समीचीन है :–

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.15(1) वित्त/कर/2010 जयपुर दिनांक 27.01.2010

भूमि कर निर्धारण के संबंध में शासन सचिव, वित्त (राजस्व) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 21.01.2010 को हुई बैठक का कार्यवाही विवरण –

लगातार.....4

क्र. सं.	विचारणी बिन्दु	बैठक में लिया गया निर्णय
2.	खनन पट्टे के अनुसार आवंटित भूमि में निजी कृषि या अन्य भी होती है। निजी भूमि पर खनन निजी भूमि धारक की अनुमति से ही किया जा सकता है। अधिकांश अभ्यावेदनों/न्यायालय याचिकाओं में यह प्ली ली जाती है कि कृषकों की भूमि पर लीज होल्डर द्वारा कोई माईनिंग गतिविधि नहीं की जा रही हैं। माईनिंग विभाग से कर निर्धारण अधिकारियों को यह सूचना नहीं मिलती है कि लीजधारक द्वारा कौन–कौन से कृषि भूमिधारकों से सहमति प्राप्त कर ली है अथवा नहीं। कर निर्धारण के समय लीजधारक से या सम्बन्धित कृषकों से यह ज्ञात करना कठिन है।	राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 38 (सी) के अनुसार भूमि कर निर्धारण हेतु भूमि की परिभाषा में कृषि भूमि शामिल नहीं की गई हैं। सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी (उपपंजीयक) का प्रतिवर्ष कर निर्धारण करते हुये यह दायित्व है कि किसी भी खनन लीज में शामिल खातेदारी भूमि का उपयोग खनन प्रयोजनार्थ किया जा रहा है अथवा कृषि प्रयोजनार्थ, यह मौके की स्थिति के अनुसार सुनिश्चित करें। इस हेतु उपपंजीयक सम्बन्धित खसरे का खसरा गिरदावरी रिपोर्ट की मदद ले सकते है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी खनन लीज के लिए कर का निर्धारण किया जाना चाहिये।

उपरोक्त निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि कर निर्धारण करते समय निजी काश्तकारों की भूमि शामिल नहीं की जानी चाहिए। नोटिस के जवाब में प्रार्थी ने इस संबंध में निजी काश्तकारों की भूमि का उल्लेख भी किया है। यह खण्डपीठ न्यायोचित एवं विधिसम्मत मानती है कि भूमि कर निर्धारण के समय निजी काश्तकारों की भूमि शामिल नही की जानी चाहिए एवं इस संबंध में प्रार्थी का दायित्व है कि वह स्पष्ट करें कि उसके धारण में से कौनसी व कितनी ऐसी भूमि है जो कृषि योग्य उपयोग में आ रही है तथा कर निर्धारण अधिकारी आवश्यक जांच कर ऐसी भूमि को कर निर्धारण से बाहर निकालते हुए शेष भूमि का कर निर्धारण करें। इस दृष्टिकोण से इस बिन्दु का प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

12. जहॉ तक नदी नाले, आवासीय या अन्य ऐसी भूमि जिसके संबंध में प्रार्थी का यह कथन है कि उस पर करारोपण नहीं किया जा सकता, के संबंध में यह अवधारित किया जाता है कि इस संबंध में विस्तृत विवरण मय साक्ष्य प्रार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे तथा कर निर्धारण अधिकारी राजस्व रिकार्ड आदि से परीक्षण एवं मौके की जांच कर इस संबंध में नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 15.01.2007 व 21.06.2007 निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार की गई विवेचना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को सुनकर पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 06.08.2018 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश हो तथा कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का यथा संभव तीन माह में निस्तारण करें।

14. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

24/08/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य